रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3169] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2018/श्रावण 22, 1940
No. 3169] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2018/SHRAVANA 22, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

का.आ.3965(अ).—जबकि, बागजन पीएमएल ब्लॉक, जो तेल और प्राकृतिक गैस निष्कर्षण के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में से एक है;

और जबकि बागंजन पीएमएल ब्लॉक पचहत्तर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और यह 13 मई, 2023 तक वैध है;

और जबकि, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बागजन पीएमएल ब्लॉक में चौबीस कुओं का वेधन किया है और लगभग सभी कुओं में हाइड्रोकार्बन पाया गया था;

और जबकि असम सरकार ने डिब्रु-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान को इको-संवेदनशील अंचल के रूप में घोषित कर दिया है और असम सरकार ने उस क्षेत्र में तेल और गैस क्षेत्रों के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया है;

और जबकि असम सरकार के चीफ वाइल्ड लाइफ़ वार्डन ने डिब्रु-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नीचे बागजन पीएमएल ब्लॉक की चाहरदीवारी से दूर हाइड्रोकार्बन के निष्कर्षण के लिए उक्त राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बाहर कूप वेधन के लिए तैयार सतह पर कूपों का अधिक गहराई तक वेधन करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार करने की सिफारिश की है;

और जबकि दिनांक 29 जुलाई, 2017 को आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी 44वीं बैठक के कार्यवृत्त में डिब्रु-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के 3900-4000 मीटर नीचे हाइड्रोकार्बन निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

और जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 सितम्बर 2017 के अपने आदेश से, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर कतिपय शर्तों के साथ डिब्रु-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के 3900-4000 मीटर नीचे हाइड्रोकार्बन के निष्कर्षण हेतु प्रार्थना संबंधी अंतर्वादीय आवेदन की अनुमति दी है;

अब अत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के निमय 28 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार असम के तिनसुकिया और डिब्रुगढ़ के जिलों में स्थित डिब्रु-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नीचे भंडार से बाग़जन पीएमएल ब्लॉक की सीमा से बाहर हाइड्रोकार्बन की निकासी के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऑयल इंडिया लि0 (ओआईएल) को प्राधिकृत करती है:-

(क) उक्त हाइड्रोकार्बन कार्यकलापों को 3900-4000 मीटर की गहराई पर एक्सटेंडिड रीच ड्रिलिंग वेल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वन सीमा से बाहर, सतही जल पर कोई प्रभाव डाले बिना या डिब्रु-साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के वन की सतह का प्रयोग किए बिना करना होगा;

(ख) ओआईएल क्षेत्र के लिए जैव-विविधता प्रभाव आकलन अध्ययन करेगी;

(ग) ओआईएल यह सुनिश्चित करने के लिए कि भंडारों से हाइड्रोकार्बन की निकासी के कारण, 3900 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर भंडार से ऊपर वन की सतह में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अल्पीकरण उपायों को करने के बाद अवतलन अध्ययन करेगी;

(घ) ओआईएल पार्क क्षेत्र के भीतर तेल रिसाव होने की संभावना के मामले में सभी अल्पीकरण उपाय सुनिश्चित करेगी जैसे कूप शीर्ष पर ब्लो आउट प्रिवेंटर स्थापित करना और पार्क क्षेत्र के बाहर स्थित उत्पादन संस्थापनाओं में आवश्यक वाल्व उपलब्ध कराना;

(ड.) तेल रिसाव के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मानक प्रचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा;

(च) क्षेत्र का आवधिक रूप से निर्धारित जांच और निरीक्षण किया जाएगा ताकि पार्क के भीतर रिजर्वायर के ऊपर सतह क्षेत्र में किसी प्रकार की असमान्य स्थिति का पता लगाया जा सके;

(छ) पार्क क्षेत्र के भीतर और इसके पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील जोन वाले क्षेत्र दोनों के लिए पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन संबंधी अधिसूचना, 2006 में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा;

(ज) पर्यावरण प्रभाव संबंधी मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम किया जाएगा;

(झ) ऐसे एहतियाती उपाय किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतही जल किसी प्रकार से प्रदूषित न हो;

(ञ) पार्क क्षेत्र के भीतर गैस की फ्लेरिंग प्रतिबंधित होगी;

(ट) ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाएंगे।

(ठ) तेल रिसाव को रोकने के उपाय किए जाएंगे;

(ड) अग्नि दुर्घटना को रोकने के उपाय किए जाएंगे;

(ढ) वन क्षेत्र के बाहर प्रत्येक कूप के वेधन प्लिन्थ के आस-पास 10 फीट ऊंचा बैरीकेड लगाना और बैरीकेड के आस-पास 7.5 मीटर के सुरक्षित क्षेत्र की चेन से जुड़ी हुई फेंसिंग से चहारदीवारी की जाएगी और स्वदेशी प्रजातियों के पौधों से पौधरोपण किया जाएगा ताकि वन्य जीवों को चोट अथवा उनकी मृत्यु तथा खनन स्थल में पर्यावरण नुकसान और प्रदूषण को रोका जा सके; और

(ण) क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने से पूर्व, राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र में और उसके आस-पास मौजूद वन्य जीवों के कल्याण और पर्यावरण नुकसान तथा प्रदूषण को रोकने के लिए असम सरकार के वन विभाग द्वारा उनकी सुरक्षा और नुकसान को कम करने संबंधी उपाय किए जाएंगे जिसके लिए ओआईएल संग्रह निधि के रूप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ), वन्य जीव (डब्ल्यूएल) और मुख्य वन्य जीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू), असम को उचित धनराशि उपलब्ध कराएगा जिसका उपयोग वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवों के हित में अन्य संबद्ध कार्यकलापों के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. ओ-32011/3/2010-ओएनजी-II / I]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th Aug, 2018

S.O.3965(E).— Whereas, Baghjan PML Block, which is one of the main producing fields of Oil India Limited for extraction of oil and natural gas;

And whereas the Baghjan PML Block extends to an area admeasuring seventy-five square kilometers and is valid up to 13th May, 2023;

And whereas, Oil India Limited has drilled twenty-four wells in the Baghjan PML Block and almost all wells were found to be bearing hydrocarbon;

And whereas the Government of Assam has declared the Dibru-Saikhowa National Park as Eco-sensitive Zone and Government of Assam restricts production of oil and gas fields in the said area;

And whereas the Chief Wildlife Warden of the Government of Assam has recommended to consider the proposal of Oil India Limited for extraction of hydrocarbon beyond the boundary of Baghjan PML Block

beneath Dibru-Saikhowa National Park by drilling Extended Reach Drilling Wells from well pads placed outside the said National Park area;

And whereas the Standing Committee of National Board for Wildlife vide minutes of its 44th meeting held on 29th July, 2017 approved the proposal of Oil India Limited to extract hydrocarbon beneath 3900-4000 meters of Dibru-Saikhowa National Park;

And whereas the Hon'ble Supreme Court has, vide its Order dated 7th September, 2017, allowed the interlocutory application filed by Oil India Limited praying for extraction of hydrocarbon beneath 3900-4000 meters of Dibru-Saikhowa National Park, subject to certain conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 28 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government authorises the Oil India Limited (OIL) to extract hydrocarbon beyond the boundary of Baghjan PML Block from the reservoir beneath Dibru-Saikhowa National Park situated in the districts of Tinsukia and Dibrugarh in Assam, subject to the following conditions, namely:—

(a) the said hydrocarbon exploration activities have to be carried out from outside the forest boundary using Extended Reach Drilling Wells technology at a depth of 3900-4000 meters without any impact to surface water or use of the forest surface of Dibru-Saikhowa National Park;

(b) OIL shall carry out Bio-diversity Impact Assessment study for the area;

(c) OIL shall carry out subsidence study followed with taking mitigation measures, in order to ensure that there is no impact in the forest surface above the reservoir at height 3,900 to 4,000 meter, due to extraction of hydrocarbon from the reservoirs;

(d) OIL shall ensure all mitigation measures to be in place in case of any eventuality causing oil spillage inside the park area such as – Install Blow out Preventer at well head and provide necessary valves in the production installations located outside the park area;

(e) Standard Operating Procedure, approved by the competent authority, pertaining to Oil Spillage, shall be strictly adhered to;

(f) undertake schedule test and inspection of the area periodically in order to assess any abnormality in the surface area above the reservoir inside the park;

(g) ensure strict compliance of the conditions stipulated in Environment Impact Assessment Notification, 2006 for both inside the park areas as well as Eco-sensitive Zone area of it;

(h) undertake Environment Impact Assessment and Environment Management Programme;

(i) preventive measures to ensure there is no contamination of surface water;

(j) flaring of gas inside the park area is prohibited;

(k) measures to prevent noise pollution;

(l) measures to prevent oil spills;

(m) measures to prevent fire hazard;

(n) to erect 10 feet high barricade around the drilling plinths of each well, outside forest area and a safety zone of 7.5 meters around the barricade is to be fenced with chain link fencing and planted with indigenous plant species to prevent any injuries or mortality of wildlife as well as the environmental damage and pollution in the mining locality; and

(o) protection and mitigation measures are to be taken by the Forest Department of the Government of Assam for the welfare of the existing wildlife population as well as to prevent environmental damage and pollution in and around the vicinity of the National park for which OIL shall provide a reasonable amount to Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) Wild Life (WL) and Chief Wildlife Warden (CWLW), Assam as Corpus fund, which will be utilised for wildlife conservation and other allied activities in the interest of the wildlife prior to allowing the use of the area.

[F.No.O-32011/3/2010-ONG-II/I]
Diwakar Nath Misra, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.08.23 10:27:56 +05'30'